न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–17 / 2021–22

चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या–236 / 2021

राज्य बनाम सुशील कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
5/7/21	**<u>वाहन विमुक्ति आदेश</u>** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 342 / हि0शा0 दिनांक 11.06.2021 से प्राप्त चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या–236 / 21, दिनांक–18.03.2021 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कार्पियों निबंधन संख्या–DL8CBA-7573 को राजसात करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाहन स्वामी सुशील सिंह को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल परिसदन के बगल में सिंचाई भवन के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक स्कार्पियों वाहन अलौली की तरफ से परमानंदपुर की तरफ जा रही थी। रूकने का इशारा करने पर उक्त स्कार्पियों वाहन भागा लेकिन उपलब्ध बल के सहायता से रोक कर दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष गाड़ी की तलाशी की गयी तो उक्त गाड़ी के चालक के सीट के नीचे छुपा कर रखा हुआ 750एम0एल0 का एक बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन, चौर्य व्यापार एवं भंडारण प्रतिबंधित है। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त जब्त वाहन के स्वामी है। गांव के ही ग्रामीण राहुल कुमार पे0–श्रीराम सिंह साकिन–करना थाना–परबत्ता जिला–खगड़िया की शादी में जाने के लिए दिनांक–17.03.2021 को वाहन लिया था। दिनांक–18.03.2021 के सुबह चित्रगुप्तनगर थाना की पुलिस द्वारा 750एम0एल0 के मात्र एक बोतल शराब के साथ जब्त कर लिया गया। विपक्षी वाहन स्वामी उक्त थाना कांड के अभियुक्त नहीं है। विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कार्रवाई क[illegible] टिप्पणी तारीख–सहि[illegible]
	उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त स्कार्पियों वाहन संख्या– DL8CBA-7573 के चालक के सीट के नीचे से 750एम0एल0 का एक बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत स्कार्पियों के साथ जब्त किया गया है। चूँकि उक्त वाहन से मात्र 750 एम0एल0 का एक बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण का उद्देश्य साबित करने के लिये अपर्याप्त है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेश में निदेशित है कि बरामद शराब की मात्रा को व्यापारिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जाय। उक्त के आलोक में जब्त वाहन का राजसात किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ हीं यह उल्लेख्य है कि वाहन को वाहन स्वामी के साथ नहीं बल्कि किसी अन्य ग्रामीण के साथ बरामद किया गया। जिन्होंने बारात जाने के लिये एक दिन पूर्व वाहन लिया था। अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनवाई के बाद उक्त वाहन की विमुक्ति हेतु बन्धपत्र, अंडरटेकिंग तथा एक प्रतिभूति वाहन के बीमित मूल्य के बराबर दाखिल करने हेतु सुनवाई के दौरान निदेशित किया जाता है। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से दिनांक–03.07.2021 को बन्धपत्र, अंडरटेकिंग तथा एक प्रतिभूति के रूप में अतुल कुमार पे0–अम्बिका सिंह साकिन–करना, पोस्ट+थाना–परबत्ता जिला–खगड़िया का वाहन संख्या–BR10PB-7364 स्कार्पियां कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–1575640/–(पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार छः सौ चालीस) रूपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0–1180227/–(ग्यारह लाखन अस्सी हजार दो सौ सत्ताईस) रूपये मात्र का है। जांचोपरान्त सभी कागजात सही पाये गये। अतएव वाहन स्वामी सुशील सिंह पे0–सत्तन सिंह उर्फ सत्तन साकिन–छोटी पसराहा, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया वर्त्तमान पता–ए36/01 अगर नगर प्रेम नगर–3 किरारी सुलेमान नगर निठारी नार्थ वेस्ट दिल्ली, पिन कोड–110086 के द्वारा दाखिल बंधपत्र आदि के आलोक में चित्रगुप्तनगर थाना कांड संख्या–236/21 दिनांक–18.03.2021 में बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कार्पियों निबंधन संख्या– DL8CBA-7573 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। विपक्षी के द्वारा दाखिल सभी दस्तावेज इस अभिलेख के प्रदर्श के रूप में संलग्न रहेंगे।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित

थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त थाना कांड संख्या–236/21 दिनांक–18.03.2021 में जब्त स्कार्पियों वाहन संख्या– DL8CBA-7573 के वाहन के वाहन स्वामी सुशील सिंह, पे0–सत्तन सिंह उर्फ सत्तन, साकिन–छोटी पसराहा, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया वर्त्तमान पता–ए36/01 अगर नगर प्रेम नगर–3 किरारी सुलेमान नगर निठारी नार्थ वेस्ट दिल्ली, पिन कोड–110086 को उचित पहचान कर विहित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट किया जाय।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

यथाउपर्युक्त इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 358 दिनांक 5/7/21

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, खगड़िया / थाना अध्यक्ष चित्रगुप्त नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

5/7/21

अपर समाहर्त्ता
सह
अपर जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया।